

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन सिंगरौली जिले की Waidhan MP/UP Border (Dudhi) road तक मार्ग के किनारे-किनारे आर्टिकल फाइवर केवल लाइन डालने में प्रभावित वनभूमि वन परिश्रेत्र बैढन के कक्ष कमांक आर.एफ-409, 410, 396 एवं 397 कुल रकबा 0.322 हे0 है। वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र 0.320 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया गया है। ओ.एफ.सी. लाइन बिछाने की अनुमति वनमंडलाधिकारी सिंगरौली द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि : 17.01.2020
स्थान: सीवा

मुख्य वन संरक्षक
सीवा वन संरक्षक सीवा म0प्र0